कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 **ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–724/1434 नया रायपुर, दिनांक 29/06/2021

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for the Rehabilitation & Upgrading of Dwari-Saldih-Gadphuljhar- Toshgaon – Toresingha Road Chhattisgarh, area 2.767 ha. – regarding.**

– **पंजीयन कमांक – FP/CG/Road/ 32638/ 2018**

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक. शा./ एफ.सी.ए./ 5956 दिनांक 01.06.2022

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत देवरी–सल्डीह–तोषगांव–गढ़फुलझर–तोरेशिंघा मार्ग उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार है:–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) – आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ द्वारा महासमुन्द जिले के महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत देवरी–सल्डीह–तोषगांव–गढ़फुलझर–तोरेशिंघा मार्ग उन्न्ययन एवं पुर्ननिर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु 2.767 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2 से 13) – वन मंडलाधिकारी महासमुन्द वन मंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/Road/ 32638/ 2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.03.2018 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रूपये कुल 24,000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 14) – प्रकरण में परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा देवरी सालडीह–तोशगांव– गढ़फुलझर–तारेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु महासमुन्द जिले के महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 16) – प्रस्तावित क्षेत्र में महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत 3.543 हे. निजी भूमि एवं 53.3184 हे. शासकीय भूमि कुल 56.861 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 17) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 18) – महासमुन्द जिले के महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. हेतु आवेदित वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 19 से 25) – प्रपत्र – 4 में परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा देवरी सालडीह–तोशगांव– गढ़फुलझर– तारेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु महासमुन्द जिले के महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर. एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मार्ग लंबाई 1.977 कि.मी. के लिए प्रशासकीय लागत **149.06 करोड़ रू.** बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.5 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 26 से 37) – महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन भूमि में मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 38) – प्रकरण में अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन भूमि में मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयन के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 39) – प्रस्तावित देवरी–सल्डीह–तोषगांव–गढ़फुलझर–तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मांग न्यूनतम है तदाशय का यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है जो वन मंडलाधिकारी, महासमुन्द वन मंडल द्वारा भी हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 40 से 58) – यूजर एजेंसी का कथन है कि पर्यावरण संरक्षण,मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के बिन्दु 7 (एफ) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन एवं भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 14.09.2006 की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 59 से 64) – प्रस्तावित मार्ग उन्नयन कार्य हेतु महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत 933 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 65 से 72) – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 01.08.2017 की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 73) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 469 (चिखली ''ब'') रकबा 5.534 हे. क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 74) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 469 (चिखली ''ब'') रकबा 5.534 हे. क्षेत्र में प्रस्तावित होने से आवश्यक नहीं।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 75 से 98 तक) – आवेदित वन भूमि 2.767 हे. के एवज में दुगुने नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 469 (चिखली ''ब'') रकबा 5.534 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99 से 101) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी क्षेत्र चिखली "ब" कक्ष क्रमांक 469 कक्ष का रकबा 14.270 हे. में से 5.534 हे. क्षेत्र का चयन किया गया है। चयनित क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण कार्य कराया जा सकता है। इसके पूर्व 5 वर्षो में चयनित क्षेत्र में किसी प्रकार के वानिकी कार्य नहीं कराया गया है स्थल निरीक्षण पश्चात प्राक्कलन तैयार किया गया है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी महासमुन्द वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 102) – वन मंडलाधिकारी महासमुन्द वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 103) – वन मंडलाधिकारी महासमुन्द वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 104) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 105 से 106) – आवेदित वन भूमि 2.767 हे. के एवज में दुगुने नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 469 (चिखली "ब") रकबा 5.534 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। अतः मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 107) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 108) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 109) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 110) – प्रस्तावित देवरी सालडीह–तोशगांव– गढ़फुलझर– तारेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नन कार्य हेतु महासमुन्द जिले के महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र बसना के कक्ष क्रमांक ग्राम सराईपाली आर.एफ 298 का 0.231 हे. एवं आर.एफ 300 का 2.536 हे. कुल आवेदित रकबा 2.767 हे. वन भूमि में सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु कोई व्यक्ति / परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 111 से 116) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, महासमुन्द द्वारा दिनांक 10.05.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, महासमुन्द वन मंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 01.06.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 117 से 118) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल या मूर्ति चिन्ह नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी महासमुन्द एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 119 से 135) – प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत, देवरी, जामजुड़ा, पेण्ड्रवन,सल्डीह, नवागांव,बरोली, कायतपाली, सराईपाली, चिमरकेल, देवरी, लमकेना, गढ़फलझर, तोषगांव, मोहेरापाली, अन्तर्ला एवं तोरेसिंहा ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 136) – महासमुन्द जिले के महासमुन्द वन मंडल की कुल अधिसूचित वन भूमि 100519.270 हे. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 137) – महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत 23 प्रकरण रकबा 1686.925 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 138) – महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के 1 प्रकरण रकबा 101.25 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तित की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 139) – वन मंडलाधिकारी महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 140) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 141 से 143) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर महासमुन्द द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 25.02.2021 को जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 144) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से कलेक्टर, जिला महासमुन्द का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 145 से 146) – आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance **(प्रस्ताव पृष्ठ 147)** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it **(प्रस्ताव पृष्ठ 148)** – प्रस्तावित 2.767 हे. वन भूमि मार्ग का चौड़करण एवं उन्नयन कार्य में भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू–क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 149) – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 **(प्रस्ताव पृष्ठ 150)** – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 151 से 152) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 153) – वन मंडलाधिकारी, महासमुन्द वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित 2.767 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रभावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि पर किसी भी प्रकार का वन्यप्राणी प्रभावित नहीं हो रही है। अतएव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 154) – विद्युत लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 155) – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 3–3 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–724/ 1435 रायपुर, दिनांक 29/06/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी**, महासमुन्द वनमंडल, महासमुन्द, छत्तीसगढ़।
3. **परियोजना प्रबंधक,** छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ द्वारा महासमुन्द जिले के महासमुन्द वन मंडल अंतर्गत देवरी – सल्डीह – तोषगांव – गढ़फुलझर – तोरेशिंघा मार्ग उन्न्ययन एवं पुर्ननिर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु 2.767 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 27/06/2022
स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख ,छत्तीसगढ़

Form -4 (Vividh) 2022 (1)